

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /३४२७ /2023

दिनांक : 21.12.2023

श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, नागौर को दिनांक 20.11.2023 से 21.11.2023 तक 02 दिनों का प्रावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रेट (वर्गीकरण) 21.12.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/48/1996/ ८५०९

दिनांक 21.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, नागौर को उनके पत्रांक 157 दिनांक 22.11.2023 के सन्दर्भ में।
- श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, नागौर।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।

सहायक रजिस्ट्रार
[Signature]